

ख

—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर —

अभियुक्ति

22/11/22

प्र० पक्ष :-  
वि० पक्ष :- } अनुपस्थित

काव्य बाधित होने के कारण वार की  
कारवाई बिना किसी पूर्णाली आदेश  
के समाप्त की जाती है।

दि 22/11/22

✓